


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक, हिन्दी (स्कूल शिक्षा) को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति - निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन (सत्मावि)	विदेश यात्रा का कारण मय अवधि	विदेश का नाम जहा यात्रा करनी है
1	श्रीमती इन्दु शर्मा, बा10 हनुमानगढ टाउन - हनुमानगढ	18.09.18 से 30.09.18 कुल 13 दिवस, 11.05.18 से 30.06.18 कुल 50 दिवस रिश्तेदारों से मिलने	बुडिया किंगडम ऑफ बहरीन
2	श्रीमती हिमानी जैन, रामपुरा - कोटा	27.09.18 से 26.10.18 कुल 30 दिवस पुत्री से मिलने	सिंगापुर

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेंगे ।
2. उक्त कार्मिक का एक बार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. उक्त कार्मिक विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का डिप्लोमा/अध्ययन कार्य नहीं करेगा ।
4. विदेश से भिजवाये गये त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
6. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।



(नथमल डिलेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक - शिविसा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/विदेश यात्रा-अनुज्ञा/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक),
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
4. संबंधित संस्था प्रधान, कार्मिक द्वारा आवेदित उपर्जित अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर, विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कामिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक - 31-8-18


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर